संख्या—164

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार 14 अप्रैल, 1981

चैत्र 24, 1903 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 943/सत्रह-वि-1—90-80

लखनऊ, 14 अप्रैल, 1981

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 13 अप्रैल, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1981)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की धारा 2 में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (च) में, उप खण्ड (1) में, शब्द "अन्यायपूर्ण" के पश्चात् शब्द, ",उत्पीड़क" बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया समझा जायगा;

(ख) खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) के प्रस्तर (ग) में, शब्द "राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई कम्पनी" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उप धारा (3) में, शब्द और अंक "जैसी धारा 2 के खण्ड (1) के उप खण्ड (4) में निर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द और अंक "जैसी धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) में निर्दिष्ट है" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उप धारा (1) में, खण्ड (3) में, शब्द "किसी लोक सेवक से भिन्न" निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले समझे जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द "धारा 14 में, निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा" के स्थान पर शब्द "धारा 14 में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

नई धारा 20-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

व्यय का संचित निधि पर भारित होना

"20-क—एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को या उनके सम्बन्ध में देय, वेतन, भत्ता और पेंशन, उनके कर्मचारि-वर्ग और कार्यालय से सम्बन्धित व्यय और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य व्यय उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे।"

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 943(2)/XVII-V-1—90-80

Dated Lucknow, April 14, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3)of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Ayukta tatha Up Lok Ayukta (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7, of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 13, 1981 :

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 1981

[U.P. Act No. 7 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975.

It is hereby enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 1981.

Amendment of section 2 of U.P. Act 42 of 1975.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975, thereinafter referred to as the principal Act, in the Hindi version,—

(*a*) in clause (च), in sub-clause (1), *after* the word "अन्यायपूर्ण" the word "उत्पीड़क" shall be *inserted* and deemed always to have been *inserted* ;

(*b*) in clause (ञ), in sub-clause (5), in paragraph (ग), *for* the words "राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है", the words "राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई कम्पनी" shall be *substituted* and deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 5.

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words and figures "sub-clause (iv) of clause (i) of section 2", the words and figures "sub-clause (v) of clause (*j*) of section 2" shall be *substituted* and deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 7.

4. In section 7 of the principal Act, in Hindi version, in sub-section (1), in clause (3), the words "किसी लोक सेवक से भिन्न" shall be *omitted* and deemed always to have been *omitted*.

Amendment of section 20.

5. In section 20 of the principal Act, in Hindi version, *for* the words "धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेन्सियों द्वारा", the words "धारा 14 में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेन्सियों द्वारा" shall be *substituted* and deemed always to have been *substituted*.

Insertion of new section 20-A.

6. *After* section 20 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:

"20-A. **Expenditures to be charged on Consolidated Fund.** It is hereby declared that the salary, allowances and pension payable to or in respect of the Lokayukta or the Up-Lokayuktas, the expenditure relating to their staff and office and other expenditure in respect of the implementation of this Act shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh."

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 10 सा० (विधा०)—14-4-81—(159)—1981—700 (मैके०)।